25/6/17 पत्रावली सीगह से तलब होकर पेश हुई। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी के वकील श्री प्रहलाद सिंह शक्तावत ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट के हस्त मय नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जिसका कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित मौजा नंगावली पटवार मण्डल नंगावली में स्थित आराजी नम्बर 4015/1815, 4014/1845, 4016/1862 किता - 3 रकबा 0.6660 हे० भूमि प्रार्थी की खातेदारी की होकर इनके स्वामित्व आधिपत्य की है। जिसके कोई सीमा चिन्ह नहीं होने से सीमा को लेकर पड़ौसी खातेदार से विवाद होता रहता है। इसलिए पत्थरगढ़ी कराई जावे। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया बहस सुनी गई। प्रार्थी जेर बहस आराजी का खातेदार है। तथा इन्हें नपती कराने का अधिकार प्राप्त है। अतः तहसीलदार डूंगला को 2000/- दो हजार रुपये फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बन्दोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त में दखल दिये पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढ़ी हुक्मनामा आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला